भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 648

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल में प्रदूषकों का बढ़ता स्तर

648. श्री रामप्रीत मंडल:
श्री दिनेश चंद्र यादव:
प्रो. सौगत राय:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री टी.एम. सेल्वागणपति:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश के 440 जिलों में भूजल में नाईट्रेट की अत्यधिक मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है और यदि हां, तो वर्ष 2017 और 2023 तक इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अन्य जिलों में भी भूजल में नाइट्रेट की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वर्ष 2017 में केवल 359 जिलों में नाइट्रेट की मात्रा दर्ज की गई थी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के लगभग 56 प्रतिशत जिलों में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के मध्य और दक्षिणी भागों में भी नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा चिंताजनक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या भूजल में फ्लोराइड का स्त्र भी सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने नाइट्रेट और फ्लोराइड के इतने उच्च स्तर से मानव स्वास्थ्य और फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर के 15,259 मॉनिटरिंग स्थलों से भूजल के नमूने के संग्रह और इसके

विश्लेषण पर आधारित है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 440 जिलों में अलग-थलग स्थानों से एकत्र किए गए भूजल नमूनों में पेय उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नाइट्रेट की छिटपुट उपस्थिति पाई गई थी। वर्ष 2023 और 2017 के लिए एक या अधिक अलग-थलग स्थानों पर अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की सूचना देने वाले जिलों की राज्य-वार सूची क्रमशः अनुलग्नक-। और अनुलग्नक-।। में प्रस्तुत की गई है।

हालांकि एक या अधिक पृथक स्थानों पर अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या वर्ष 2017 में 359 से बढ़कर वर्ष 2023 में 440 हो गई है, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में इसके प्रसार को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भूजल में नाइट्रेट संदूषण मुख्य रूप से मानवजनित प्रकृति का है जो उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, कृषि अपवाह, अनुचित अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, प्रभावित जिलों की संख्या में वृद्धि का एक अन्य कारण अद्यतन एसओपी के अनुसार, कथित प्रभावित क्षेत्रों के आस पास नमूना संग्रह की दर में वृद्धि और विस्तारित भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग भी है। यह इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि जिन ज़िलों में संदूषण की सूचना मिली थी, उनकी संख्या में वृद्धि के बावजूद, अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट स्तरों वाले नमूनों के समग्र अनुपात में मामूली गिरावट आई है, जो वर्ष 2017 में 21.6% से घटकर वर्ष 2023 में 19.8% हो गया है।

(ग): वर्ष 2023 में भारत में कुल 788 जिलों में से, 440 जिलों के एक या अधिक छिट पुट स्थानों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ): जैसा कि अनुलग्नक-। और अनुलग्नक-।। में देखा जा सकता है, देश के मध्य और दक्षिणी भागों में, वर्ष 2017 से 2023 के मध्य अलग-अलग भागों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थिर रही है, केरल और मध्य प्रदेश में गिरावट देखी गई है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में क्रमशः वृद्धि देखी गई है।

(ङ): वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत के 263 जिलों के कुछ अलग-अलग भागों से भूजल के नमूनों में पेय उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई गई थी।

(च): लम्बी अवधि तक अनुमेय सीमा से अधिक फ्लोराइड अथवा नाइट्रेट से युक्त पेयजल को स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभावों के लिए जाना जाता है। उपलब्ध अनुसंधान और साहित्य के अनुसार, पेय जल में फ्लोराइड से संदूषित जल का लंबे समय तक सेवन करने से लोगों को कृपलिंग स्केलेटल और/या डेंटल फ्लोरोसिस का जोखिम हो सकता है। इसी तरह, नाइट्रेट संदूषण शिशुओं में जन्म दोष, थायरॉयड जटिलताओं और कुछ प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है।

इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय है। भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और संदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है तथापि, भूजल गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं : -

i. सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (http://www.cgwb.gov.in) के माध्यम से भी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के प्रत्येक दौर के बाद निष्कर्षों के सार वाले अर्द्धवार्षिक बुलेटिनों का परिचालन भी किया जाता है।

ii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों के कुछ हिस्सों में भूजल में यूरेनियम, सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा संदूषण के अध्ययन के लिए वर्ष 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीपीसीबी द्वारा बहिस्त्रावों के निस्सरण हेतु उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों को विकसित कर बिन्दु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, बहिस्त्राव गुणवत्ता के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए देश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा एक ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव मॉनिटरिंग प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित की जाती है।

iv. भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएसः 10500 मानकों को नल द्वारा जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।
- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली आबादी को 10% वरीयता दी जाती है।
- देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के

लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- जेजेएम के तहत, नल के जल कनेक्शन के माध्यम से घरों में पेय जल की आपूर्ति की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि सुरक्षित जल स्रोत से पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे चालू करने समय लगता है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

'व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति बंद करना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 648 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2023 के लिए भूजल में नाइट्रेट संदूषण का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक **NO3** वाले जिलों की संख्या	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों के भाग
1	आंध्र प्रदेश	25	अल्लूरी सीता राम राजू, अनकापल्ली, अनंतपुर, अन्नामय्या, बापटला, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, गुंटूर, काकीनाडा, कोनासीमा, कृष्णा, कुरनूल, नंद्याला, नेल्लोर, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मान्यम, प्रकाशम, श्री सत्य साई श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी, वाईएसआर कडपा
2	बिहार	15	अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी
3	छत्तीसगढ़	20	बालोद, बलोदबजर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सूरजपुर, सरगुजा
4	दिल्ली	7	नई दिल्ली, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम
5	गुजरात	23	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरवल, भरूच, भावनगर, छोटा उदेपुर, दाहोद, देवभूमि द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, मोरबी, पंचमहाल, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तापी, वडोदरा, वलसाड
6	हरियाणा	21	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवारी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
7	हिमाचल प्रदेश	6	बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना
8	जम्मू और कश्मीर	6	बारामूला, जम्मू, कठुआ, कुपवाड़ा, राजौरी, सांबा
9	झारखंड	9	चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरडागा, पलामू, रांची, सिंडेगा
10	कर्नाटक	27	बागलकोट, बेलगाम, बेल्लारी, बैंगलोर ग्रामीण, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकबल्लापुरा, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागु, कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैसूर, रायचूर, रामनगर, शिवमोग्गा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़, विजयनगर, यादगीर
11	केरल	10	अलप्पुझा, इडुक्की, कन्नूर, कोल्लम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, पठानमथिडा, त्रिशूर, त्रिवंथिरम
12	मध्य प्रदेश	39	आगर मालवा, अनूपपुर, बालाघाट, बरवानी, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मोरना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया
13	महाराष्ट्र	32	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाल
14	ओडिशा	15	अनुगुल, बलांगीर, बारगढ़, कटेक, ढेंकनाल, केंदुझर, खर्धा, करापुट, मयूरभंज, नयागढ़, नुआपाड़ा, पुरी, चंबलपुर, चनापुर, सुंदरगढ़
15	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी

16	पंजाब	20	अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवांशहर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, सास नगर, तरनतारन
17	राजस्थान	30	अजमेर, अलवर, बंसवारा, बरन, बार्मर, भरतपुर, भिलवारा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झलावर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
18	तमिलनाडु	31	अरियालुर, चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, टिंडीगल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरै, नागपट्टिनम, नमक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलूर, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, सलाम, शिवगंगई, तंजावुर, थेनी, तिरुवन्नामलाई, तिरुनेलवेली, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, त्रिची, थुडीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर
19	तेलंगाना	32	आदिलाबाद, बी. कोठागुडम, हनमकोंडा, जे. भूपालपल्ली, जगसियाल, जनगांव, जोगुलाम्बा, कामारेड्डी, करीमनगर, केबी आसिफाबाद, खम्मम, महबूबाबाद, महबूबनगर, मंचेरियल, मेडक, मेडचल, मलकाजगिरी, मुलुगु, नागरकुरनूल, नलगोंडा, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद, पेडापल्ले, आर. सिरसिला, रंगा रेड्डी, संगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, सिद्दीपेट
20	त्रिपुरा	2	उत्तरी त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा
21	उत्तर प्रदेश	48	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद / प्रयागराज, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बुदौन, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, एतवाह, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशांबी, ललितपुर, लकनो, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मीरुट, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, संभल, संत रविदास नगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी
22	उत्तराखंड	5	अलमोरा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर
23	पश्चिम बंगाल	18	अलीपुरद्वार, बांकुरा, बीरभूम, बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, झाड़ग्राम, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर

*****

'व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति बंद करना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 648 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2017 के लिए भूजल में नाइट्रेट संदूषण का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक **NO3** वाले जिलों की संख्या	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों के भाग
1	आंध्र प्रदेश	13	अनंतपुर, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कडप्पा, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी
2	बिहार	20	अरवल, औरंगाबाद, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, खगरिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, वेस्ट चंपारण
3	गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
4	गुजरात	30	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरवल, बनास कांता, भरूच, भावनगर, बोटाद, छोटा उदयपुर, दाहोद, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महेसना, महिसागर, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंच महल्स, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्र नगर, दी डांग, वडोदरा
5	हरियाणा	18	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवारी, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर
6	हिमाचल प्रदेश	1	सोलन
7	जम्मू और कश्मीर	6	रियासी, जम्मू, कठुआ, राजौरी, सांबा, उधमपुर।
8	झारखंड	17	बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम
9	कर्नाटक	27	बागलकोट, बैंगलोर ग्रामीण, बैंगलोर शहरी, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकबल्लापुरा, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागु, कोलार, कोप्पल, मंड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी, यादगीर
10	केरल	13	एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझीकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, त्रिशूर, त्रिवेंद्रम, वायनाड
11	मध्य प्रदेश	48	आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोक नगर, बालाघाट, बरवानी, बेतुल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मोरना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सेओनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा
12	महाराष्ट्र	32	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाल
13	पंजाब	17	बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फेरोजेपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मुक्तसर, नवानशहर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर

14	राजस्थान	31	अजमेर, अलवर, बंसवारा, बरन, बार्मर, भरतपुर, भिलवारा, बूंदी, चित्तौरगढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झलावर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
15	तमिलनाडु	20	चेन्नई, कोयंबटूर, धर्मपुरी, डिंडीगल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, नमक्कल, पेरम्बलूर, सलाम, तिरुवन्नामलाई, तिरुनेलवेली, तिरुप्पुर, तिरुवल्लूर, त्रिची, थुडीकोरिन, विल्लुपुरम, विरुधुनगर
16	तेलंगाना	10	आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगा रेड्डी, वारंगल
17	उत्तर प्रदेश	42	आगरा, अलीगढ़, अल्लाहबाद, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बुदौन, चंदावली, चित्रकूट, एटा, फैज़ाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हाथरस, जे पी नगर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीरामनगर (कासगंज), कौशम्बी, ललितपुर, लकनो, महोबा, मथुरा, मीरुट, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी.
18	पश्चिम बंगाल	12	बांकुरा, बीरभूम, बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, झारग्राम, मालदा, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पुरुलिया।

*****